

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 302005

क्रमांक: रीको/महिला शिकायत समिति/2017
दिनांक : 01 सितम्बर, 2026

बैठक का कार्यवाही विवरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत निगम मुख्यालय में गठित आंतरिक महिला शिकायत समिति की प्रथम साधारण बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2026 (बुधवार) दोपहर 03:00 बजे निगम मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में निम्न उपस्थित रहे :-

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. श्री मुकुल रस्तोगी, महाप्रबन्धक (बीपी प्रकोष्ठ) | - नोडल अधिकारी |
| 2. श्रीमती स्वदेश सांवरिया, प्रबन्धक (एचआरडी) | - अध्यक्ष |
| 3. श्रीमती अंजना अग्रवाल, उप-प्रबन्धक (सीपी प्रकोष्ठ) | - सदस्य सचिव |
| 4. श्री शशिकांत गुप्ता, उप-महाप्रबन्धक (विधि) | - सदस्य |
| 5. सुश्री विनिता गंगवानी, पीए-1, (भूमि अवाप्ति प्रकोष्ठ) | - सदस्य |
| 6. श्रीमती डा० रमा माथुर | - (तृतीय पार्टी सदस्य एनजीओ) |

निगम की करीब 40 महिला अधिकारियों/कार्मिकों ने बैठक में भाग लिया तथा अध्यक्ष महोदया श्रीमती स्वदेश सांवरिया ने सबका स्वागत कर अधिनियम के महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराया। तकनीकी समस्या के कारण इकाई कार्यालयों को बैठक में जोड़ा नहीं जा सका।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1. सदस्य सचिव श्रीमती अंजना अग्रवाल द्वारा सूचित किया गया कि महिला कार्मिकों हेतु निगम परिसर में स्थित शिकायत/सुझाव पेटीका में कोई सुझाव/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा अधिनियम, 2013 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को समझाया गया।
2. आंतरिक महिला शिकायत समिति के नोडल ऑफिसर श्री मुकुल रस्तोगी द्वारा Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 के प्रावधानों की मूलभूत जानकारी देते हुए यह बताया गया कि विशेष रूप से महिलाओं को यह समझाना चाहिए कि अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से क्या अभिप्राय है तथा किन परिस्थितियों एवं व्यवहारों को अधिनियम के अंतर्गत शिकायत का आधार बनाया जा सकता है। उनके द्वारा अगली बैठक हेतु पॉश अधिनियम, 2013 के एक्सपर्ट्स को बुलाकर महिलाओं को अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु सुझाव दिया गया।
3. अध्यक्ष महोदया श्रीमती स्वदेश सांवरिया द्वारा शिकायतों को ऑनलाइन भी प्राप्त करने हेतु सुझाव दिया गया। अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित महिला कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि सभी महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क एवं सजग रहना चाहिए। प्रत्येक महिला कार्मिक को यह जानकारी होनी चाहिए कि लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा क्या है, कौन-सा आचरण अधिनियम के दायरे में आता है तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर शिकायत किस प्रकार एवं किसके समक्ष की जा सकती है।

Swadesh

4. अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि संगठन के समस्त इकाई कार्यालयों से इस संबंध में अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त की जाए कि उनके कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है अथवा नहीं। जिन इकाई कार्यालयों में समिति का गठन किया जा चुका है, उनसे समिति के गठन संबंधी विवरण भी प्राप्त किया जाए।
5. डा० रमा माथुर द्वारा महिला कार्मिकों को यह अवगत कराया गया कि लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा क्या है, कौन-सा आचरण अधिनियम के दायरे में आता है तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर शिकायत किस प्रकार एवं किसके समक्ष की जा सकती है।
6. श्री शशिकांत गुप्ता, उपमहाप्रबन्धक (विधि)-सदस्य समिति द्वारा निगम के महिला कार्मिकों को अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को समझाते हुए बताया कि कोई भी शिकायत अधिनियम के दायरे को समझते हुए की जानी चाहिए जिससे अनावश्यक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण शिकायतें प्राप्त न हों।
7. समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि महिला कार्मिकों के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से समय-समय पर महिला स्वास्थ्य एवं वित्तीय जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण/जागरूकता सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। समिति द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला कार्मिकों के समग्र विकास, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास एवं सशक्तिकरण की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे। अतः सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ऐसे प्रशिक्षण/जागरूकता सत्र आयोजित किए जाने का सुझाव दिया गया।
8. महिला समिति को ^{प्रथम} तृतीय साधारण बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई।

इसी के साथ अंत में बैठक धन्यवाद मत से समाप्त हुई।

Invadesh
(स्वदेश सांवरिया)

प्रबन्धक (एचआरडी) एवं अध्यक्ष समिति

प्रतिलिपि :-

1. नोडल अधिकारी।
2. सचिव, समिति।
3. समिति सदस्यगण।
4. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
5. समस्त नियंत्रक अधिकारी, रीको लि०।
6. समस्त इकाई प्रभारी, रीको, को प्रेषित कर लेख है कि बिन्दु संख्या 04 की अनुपालना में कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समिति का विवरण icc@riico.co.in पर भिजवाने का श्रम करावें।
7. अतिरिक्त महाप्रबन्धक (एचआरडी) को प्रेषित कर निवेदन है कि बिन्दु संख्या 02 एवं 07 की अनुपालना में पॉश अधिनियम, 2013 के एक्सपर्ट्स को बुलाकर महिलाओं को अनिधियम के बारे में विस्तृत जानकारी देने एवं महिला स्वास्थ्य एवं वित्तीय जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण/जागरूकता सत्र का आयोजन करवाने का श्रम करावें।

8. उपमहाप्रबंधक (आईटी) को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न विवरण अनुसार रीको का She box portal पर पंजीयन एवं आंतरिक शिकायत समिति के विवरण को रीको की वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाने का श्रम करावें। (enclosed notesheet)
9. नोटिस बोर्ड।

प्रतिलिपि को भी :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, अधीशासी निदेशक महोदय।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सलाहकार (पीएण्डएसपी) महोदय।

प्रतिलिपि को भी :-

1. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर-302015 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमती डा० रमा माथुर, तृतीय पार्टी सदस्य एनजीओ, को सूचनार्थ प्रेषित।

swadesh